

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)केम्प

पीठासीन अधिकारी श्री विनया शिव जीनार R.A.S काउन्सिलर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर का नाम सुश्री सुप्रीम सिंह

दावा बाबत:- क्र.सं. 138 राज. का.सं. शारी

मुकदमा नम्बर:- 226/11

निर्णय दिनांक:- 15.6.2018

वादी की ओर से सुश्री सुप्रीम सिंह की व प्रतिवादी की ओर से विनया शिव जीनार की उपस्थिति में आज तारीख 15.6.18 को विनया शिव जीनार (नाम पीठासीन अधिकारी) के सम्मक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि -

93A/O. 3200, 927/O. 2900 इत्यादि वक शर्म काउन्सिलर के कलक्टर का
विरुद्ध विनया शिव जीनार की प्रतिवादी को इनका अनादिवासी के सम्बन्ध
विनया शिव जीनार के वादों को जगहन वेदवारा या कोई साक्ष्य के
सा वादों को वाक्य काया में अनादिवासी व अनादिवासी पीठासीन को वादों को
वाक्य, या कोई प्रकार का वाक्य पकना, नामीपना कोई वाक्य, अनादिवासी
वाक्य/वाक्य वाक्य, या कोई वाक्य वाक्य/वाक्य

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।
यह आज तारीख 15.6.2018 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दे रही

विनया शिव जीनार R.A.S
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे